HINDUSTAN TIMES, Delhi, 3.9.2023
Page No. 5, Size:(8.76)cms X (23.73)cms.

13-YEAR-OLD RAPED BY MINOR IN UP'S BALLIA

Press Trust of India
letters@hindustantimes.com

BALLIA: A 13-year-old girl was allegedly raped by a 15-year-old boy in Ballia district of Uttar Pradesh, police said on Saturday.

The accused and the survivor both belong to the same village, they said. A case has been registered and police are searching for the accused.

The minor was on her way to her father's farm on August 31 when the boy, a Class 9 student, allegedly raped her, police said. Station House Officer (SHO) Raj Kapoor Singh said, on Saturday, based on the complaint of the girl, a case was registered against the teenager under Sections 376 (rape), 504 (insulting with intent to provoke breach of peace) and 506 (criminal intimidation) of the Indian Penal Code and provisions of the Protection of Children from Sexual Offenses (Pocso) Act. Police are searching for the accused.

TIMES OF INDIA, Delhi, 3.9.2023
Page No. 6, Size:(17.59)cms X (18.98)cms.

2 Delhi kids drown in 'pond-like' pit in UP

Kanwardeep.Singh
@timesgroup.com

Bareilly: Two cousins, Sadiq Ali (8) and Mohammed Asif (11), from Delhi's Mustafabad who were in Sambhal district with parents to meet their relatives, died after drowning in a rain water-filled deep pit dug by brick kiln owners on Friday evening.

The incident took place in the district's Sindhauli Purvi village. More than 24 children have died this monsoon due to 'killer pits' in Bareilly zone of Uttar Pradesh and about 14 FIRs have been registered in separate cases.

In the latest incident, the two boys decided to go for a swim after seeing a large "pond" spanning nearly half an acre in the village without realising that it was actually a rain water-filled pit, police said.

Mohammed Islam, Sadiq's father, who works as a mason in Delhi, said, "My son was in class III of a government primary school while Asif was a student of class V. We live in Delhi and they had never seen such a large pit before. They thought it was a pond and went for a swim."

Station House Officer of Rajpura, Pawan Kumar, told **TOI** on Saturday, "The bereaved families refused to send the bodies of their children for autopsy and decided to go ahead with the funeral. So far, no complaint has been filed. We have completed all the formalities to ensure both the families get compensation of Rs 5 lakh each under the state disaster relief fund."

PIONEER, Delhi, 3.9.2023
Page No. 3, Size:(8.69)cms X (11.03)cms.

6-year-old girl sexually assaulted by senior student in school bus

STAFF REPORTER ■ NEW DELHI

A six-year-old girl was allegedly sexually assaulted by a senior student inside a school bus in northwest Delhi's Rohini area. The accused has been apprehended and further investigation is underway, a senior police officer said.

Earlier in the day, the Delhi Commission for Women (DCW) issued a notice to the Rohini deputy commissioner of police, seeking information about the action taken in connection with the alleged sexual assault of the minor girl on a private school bus.

Police on Wednesday got information regarding the incident of molestation of a minor girl, a senior police officer said. "The father of the victim, in his written complaint, alleged that his daughter had been molested in the school bus by a boy," the officer said.

"A case under sections 354 (assault or criminal force to woman with intent to outrage her modesty) and 228A (disclosure of identity of the victim of certain offences) of the IPC and 10/21 of the POCSO Act has been registered at Begumpur police station," the officer said.

TIMES OF INDIA, Delhi, 3.9.2023
Page No. 2, Size:(19.22)cms X (20.84)cms.

6-yr-old sexually assaulted by senior in pvt school bus

Times News Network

New Delhi: A six-year-old girl is alleged to have been sexually assaulted by a senior student at a private school in Begumpur in northwest Delhi's Rohini last month. The complaint was registered by the victim's mother, who claimed that on August 23 her daughter was sexually assaulted on the bus. Police have apprehended the supposed perpetrator and registered an FIR.

Taking note of the matter, Delhi Commission for Women chairperson Swati Maliwal alleged on Saturday that the school was pressuring the girl's parents to withdraw the complaint. The commission has issued a notice to police, who responded that a case had been registered under sections 354 and 228A of the Indian Penal Code and sections 10 and 21 of the Protection of Children from Sexual Offences Act and that the incident was being investigated.

According to the statement given by the girl's father, the daughter was allegedly molested by the boy when both were in the school bus.

In her letter to the cops, Maliwal said, "When the daughter's school bus dropped her at the society's gate, her bag was wet due to urine. Upon inquiry, the girl said that a senior student had been molesting her on the school bus. The parents reported the incident to the school's vice-principal and principal the following day. However, on August 25, the school's chairman contacted them and requested them to withdraw the complaint. The girl's mother also alleged that the chairman disclosed the child's identity to people in their society."

The school did not respond to calls from **TOI**.

DCW has sought additional information on the case from police, including a copy of the FIR. Further, it has inquired whether a case under Pocso has been filed against the school chairman, school manager, principal, vice-principal and the school itself for allegedly concealing the matter. It has asked for a detailed report on the incident by September 5 and the action undertaken against the school administration. "From an 85-year-old woman to a six-year-old child, is anyone safe?" remarked Maliwal on social media, alluding to the rape of an octogenarian in northwest Delhi's Shakurpur on Friday.

DCW CHIEF CLAIMS

The parents reported the incident to the school's vice-principal and principal the following day. However, on August 25, the school's chairman contacted them and requested them to withdraw the complaint

NATIONAL HUMAN RIGHTS COMMISSION

MILLENNIUM POST, Delhi, 3.9.2023
Page No. 5, Size:(16.13)cms X (12.40)cms.

DCW issues notice to police, seeks info on sexual assault case of girl

OUR CORRESPONDENT

NEW DELHI: The Delhi Commission for Women on Saturday said it has issued a notice to the Rohini deputy commissioner of police, seeking information about the action taken in connection with the alleged sexual assault of a six-year-old girl on a private school bus. In the notice dated September 1, the commission has sought a copy of the FIR registered in the matter, along with reasons for the delay in registering the FIR, if any.

The DCW (Delhi Commission for Women) has also asked if the accused in the case was arrested or apprehended and whether any FIR was registered against the chairman, school manager, principal, vice principal and other school authorities under the Protection of Children from Sexual Offences Act for allegedly not reporting the matter and revealing the identity of the child.

"The Commission has been informed that the child studies in a private school in Begumpur area of Delhi. The mother of the girl has informed that on August 23, when her daughter's school bus dropped her daughter at her society's gate, she found that her daughter's bag was wet due to urine. She has alleged that on enquiry, the girl informed that a student studying in a senior class has been molesting the girl in the school bus," the letter to DCP of Rohini district read.

In a post in Hindi on 'X', commission chief Swati Maliwal wrote, "A six-year-old girl was sexually assaulted by a senior boy on a private school bus in Delhi. The girl's mother told us that the school was pressuring her to withdraw the complaint. Notice has been given to Delhi Police in the matter. Strict action should be taken against the school too!"

NATIONAL HUMAN RIGHTS COMMISSION
TIMES OF INDIA, Delhi, 3.9.2023
Page No. 2, Size:(13.26)cms X (20.33)cms.

Killed man for sexual assault, blackmail: Boy

Times News Network

New Delhi: A 28-year-old private tutor was allegedly murdered by a boy in southeast Delhi's Batla House a few days ago. The juvenile has been apprehended and police said the juvenile claimed he had killed the man after repeated sexual assault and blackmail.

Police received information about the murder of Mohammad Waseem, a resident of Zakir Nagar, in Batla House on August 30. Rajesh Deo, DCP (South-East), said on Friday that a police team reached the second-floor house after receiving information about the case around 2.15pm that day. The team found the main door of the house open and a man lying on the floor with blood splattered on the spot. He had a deep cut on his neck.

The house where the murder took place belongs to Waseem's family. On the day of the incident, the tutor had left his home at 11.30am, police said after preliminary investigation. The cops scanned footage from all nearby CCTV cameras for clues to the murder.

Deo said that this helped the cops identify the boy murderer, who was later apprehended. "During inquiry, we learnt that the victim often engaged in homosexual activities. He met the boy two months ago and was repeatedly sexually assaulting him," he added.

Waseem allegedly made a video of the boy and threatened to post it on social media if he did not give in to his sexual demands. A police officer said Waseem called the boy to his house on August 30. "The juvenile was fed up with the repeated sexual assaults and the blackmail. He, therefore, came up with a plan to kill the man. He carried a paper cutter with him," the officer said.

Police claimed that on finding the right opportunity at the house, the juvenile slit Waseem's throat and fled. "The victim's mobile phone, clothes and shoes worn by the accused at the time of the incident have also been recovered," police said on Saturday.

NATIONAL HUMAN RIGHTS COMMISSION

HINDU, Delhi, 3.9.2023
Page No. 2, Size:(12.03)cms X (8.85)cms.

Minor girl sexually abused by senior student in school bus

A six-year-old girl was allegedly sexually abused by a senior student inside a school bus in Rohini, the police said on Saturday, adding that the accused has been apprehended. An officer said the girl's father had on Wednesday filed a complaint alleging that a boy had molested her. Earlier in the day, the Delhi Commission for Women issued a notice to the DCP (Rohini), seeking an action taken report in the incident. PTI

ASIAN AGE, Delhi, 3.9.2023
Page No. 2, Size:(2.14)cms X (4.37)cms.

Minor raped by senior in school bus in Rohini

New Delhi: A six-year-old girl was allegedly sexually assaulted by a senior student inside a school bus in Rohini area, the police said on Saturday. The accused has been apprehended, a senior police officer said.

Earlier in the day, the DCW issued a notice to the Rohini DCP, seeking information about the action taken in the case.

HINDUSTAN TIMES, Delhi, 3.9.2023
Page No. 3, Size:(21.07)cms X (22.32)cms.

Six-year-old girl molested in school bus in west Delhi

HT Correspondent
letters@hindustantimes.com

NEW DELHI: A six-year-old schoolgirl was allegedly sexually assaulted by an older student inside the school bus when she was on her way back home in Begumpur area of Rohini in west Delhi, police said on Saturday. Officers said that the incident, which took place on August 23, was reported to them on Wednesday and the 16-year-old boy has been apprehended.

The girl's parents also alleged that when they first reported the matter to the private school's authorities, they tried to suppress it.

Deputy commissioner of police (Rohini) Guriqbal Singh Sidhu said that, on Saturday, the girl's father approached them and gave a written complaint alleging that his daughter was molested on a bus by a boy studying in the same school.

"Based on the complaint, a case was registered at Begumpur police station, and the boy was apprehended. Further investigation is underway," he said.

Another senior police officer said that the allegations levelled by the parents against the principal, vice principal and chairperson of the school are being investigated as well. "Relevant sections of the Indian Penal Code and Protection Of Children against Sexual Offences (Pocso) have been added and action will be taken against those found guilty," he said.

Meanwhile, the Delhi Commission for Women (DCW) chief Swati Maliwal issued a notice to Delhi Police in the matter and sought an action-taken report by Tuesday.

"The girl's mother has informed that on August 23, when the school bus dropped her daughter at the society's gate, she found that the girl's bag was wet. On enquiry, the girl informed her mother that an older student had molested her inside the bus," the commission said in a statement.

According to DCW, the girl's parents, on August 24, informed the school's principal and vice principal of the incident. However, a day later, the chairperson called them to the school and "asked them to withdraw the complaint", DCW said quoting the parents.

According to DCW, the girl's mother also alleged that the school's chairperson disclosed the minor's identity among the society's residents. However, police or the commission did not share how the minor's identity was revealed.

On Saturday, the commission sought a copy of the FIR registered in the case and also sought to know whether an FIR has been registered against the chairperson, school manager, principal, vice principal and other school authorities under Posco Act for not reporting the matter to police and revealing the identity of the child.

Maliwal said, "We have received a shocking case of sexual assault with a six-year-old girl by a senior boy in the school. This is very serious...The accused should be dealt with strictly. Action should also be taken against the school authorities for trying to suppress the matter."

INDIAN EXPRESS, Delhi, 3.9.2023
Page No. 5, Size:(16.40)cms X (9.90)cms.

Wooing Dalit voters for Ghosi bypoll, Yogi recalls guesthouse 'kaand' by SP

LALMANI VERMA
LUCKNOW, SEPTEMBER 2

KEEPING HIS focus on voters from Dalit and OBC communities in a bid to get them to vote for BJP candidate Dara Singh Chauhan in the upcoming Ghosi Assembly bypoll, UP Chief Minister Yogi Adityanath Saturday invoked the 1995 incident where Samajwadi Party leaders had allegedly attempted to assault BSP leader Mayawati.

"When SP got the opportunity, it did the state guest house '*kaand* (incident)', changed the name of a medical college named after Babasaheb Bhimrao Ambedkar and a university named after Kanshiram (BSP founder)", Adityanath said at a rally.

Without naming Mayawati, who had during her tenure as CM made several memorials and parks named after Ambedkar and Kanshiram, among others.

Adityanath said when the SP was in the opposition, Akhilesh Yadav had insulted great personalities by saying that after coming to power he would demolish these memorials to open marriage halls. "Can there be a bigger insult than this to the great men? They are speaking about social justice after insulting great personalities," the CM said.

He said the SP has "always insulted great personalities".

With more than 60,000 voters coming from the community, Dalits hold the key in the bypolls in BSP's absence.

DAINIK BHASKAR, Delhi, 3.9.2023

Page No. 18, Size:(3.70)cms X (3.31)cms.

इलाज के लिए छग से लड़की को खाट पर महाराष्ट्र ले जाना पड़ा

नागपुर | छत्तीसगढ़ से एक बीमार लड़की को इलाज के लिए खाट पर 25 किलोमीटर दूर पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र के गढ़चिरौली ले जाना पड़ा। अधिकारी ने बताया कि छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले के बकावंड इलाके के मेटावाड़ा गांव की रहने वाली किशोरी को उसके रिश्तेदार शुक्रवार को गढ़चिरौली के भामरागढ़ तालुका के लहेरी के सरकारी अस्पताल में लाए थे। लड़की के परिवार के सदस्यों ने उसे खाट पर लिटाया था और खाट को अपने कंधों पर उठाकर लगभग 25 किलोमीटर तक की कठिन यात्रा की। मेडिकल ऑफिसर डॉ. संभाजी भोकरे ने कहा कि लड़की पिछले कुछ दिनों से बुखार और उल्टी से पीड़ित थी, उसे तुरंत इलाज दिया गया और अब उसकी हालत स्थिर है।

NATIONAL HUMAN RIGHTS COMMISSION

DAINIK TRIBUNE, Delhi, 3.9.2023
Page No. 2, Size:(13.04)cms X (4.03)cms.

थाने में पिटाई करने व कपड़े उतरवाने पर नपेंगे जांच अधिकारी

चंडीगढ़, 2 सितंबर (ट्रिन्यू)

हरियाणा पुलिस के खिलाफ लगातार बढ़ रही शिकायतों पर राज्य मानवाधिकार आयोग ने कड़ा संज्ञान लिया है। आयोग ने इस संदर्भ में राज्य सरकार को कई सिफारिशें भी की हैं। साथ ही, आईओ (जांच अधिकारियों) की ट्रेनिंग भी करवाई जा रही है ताकि वे थानों में आरोपियों के खिलाफ मारपीट जैसी घटनाओं से बचें। आयोग ने दो-टूक कहा है कि थानों में आरोपियों के कपड़े उतरवाने और मारपीट करने वाले पुलिस अधिकारियों-कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी।

राज्य मानवाधिकार आयोग के कार्यवाहक चेयरमैन दीप भाटिया ने पुलिस के खिलाफ आ रही शिकायतों और मानवाधिकारों के उल्लंघन को लेकर सरकार को पत्र भी लिखा है। उन्होंने बताया कि आयोग के पास विभिन्न विभागों के खिलाफ शिकायतें आती हैं, लेकिन इनमें सबसे अधिक शिकायतें पुलिस के खिलाफ होती हैं। भाटिया ने कहा कि पुलिस आज भी अंग्रेजों के जमाने की तरह जांच करती है। अब सिस्टम पूरी तरह से बदल चुका है। साईंटिफिक इन्वेस्टिगेशन को बढ़ावा देने की जरूरत है।

उन्होंने कहा कि अगर अब भी पुलिस थानों में मारपीट करके आरोपी के साथ जबरदस्ती करेंगी तो कार्रवाई भी होगी। इस तरह के मामलों की आयोग जांच करता है और प्रूव होने पर सरकार व संबंधित अथॉरिटी को दोषी अधिकारी-कर्मचारी के खिलाफ अनुशासनात्मक और दंडात्मक कार्रवाई की सिफारिश करता है। कई ऐसे मामले हैं, जब आयोग की सिफारिश पर सरकार ने दोषी अधिकरियों के खिलाफ कार्रवाई की है। दीप भाटिया ने कहा कि मानव अधिकारों को लेकर सुप्रीम कोर्ट की भी बड़ी क्लीयर गाइड लाइन हैं। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद ही आयोग ने हरियाणा में आईओ यानी जांच अधिकारियों की ट्रेनिंग शुरू करवाई है। जांच अधिकारियों को यह बताया और समझाया जा रहा है कि आरोपियों के साथ कैसे पेश आना है।

दैनिक ट्रिब्यून Sun, 03 September 2023
https://epaper.dainiktribuneonline.com/c/73355168

NATIONAL HUMAN RIGHTS COMMISSION

VIRAT VAIBHAV, Delhi, 3.9.2023
Page No. 8, Size:(8.12)cms X (13.02)cms.

नाबालिग के हाथ पांव बांध, मुंह में कपड़ा ठूंस किया दुष्कर्म

वैभव न्यूज ■ मेरठ

रोहटा थाना क्षेत्र में 32 साल के अविवाहित युवक ने सुबह घर से शौच के लिए निकली दस वर्षीय बालिका को अगवा कर गन्ने के खेत में ले गया, शोर मचाने पर बालिका के कपड़े उतारकर मुंह में ठूंस दिए। हाथ-पैर बांधकर दुष्कर्म किया। खून से सनी हालत में बालिका के हाथ पैर बंधे छोड़कर आरोपित फरार हो गया। ग्रामीणों ने बालिका तीन घंटे की मशक्कत के बाद बालिका को ढूंढ लिया। उसकी हालत गंभीर होने पर कंकरखेड़ा स्थित निजी अस्पताल में भर्ती कराया है। पुलिस ने आरोपित पर दुष्कर्म और पोक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज किया।

जानी थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी दस वर्ष की बालिका सुबह साढ़े छह बजे शौच के लिए खेत गई थी। सात बजे तक भी बालिका वापस नहीं लौटी। उसके बाद स्वजन ने बालिका की तलाश शुरू कर दी।

लहूलुहान हालत में छोड़कर आरोपी हुआ फरार

बालिका का पता नहीं चलने पर मंदिर में लगे लाउडस्वीकर से गांव में ऐलान कराया गया। उसके बाद भी लोग एकत्र हो गए। सभी ने एकजुट होकर बालिका की तलाश खेतों में शुरू कर दी। सुबह ही खेतों की तरफ जा रहे लोगों ने बताया कि बालिका के पीछे पीछे गांव का ही मोंटी जा रहा था। उसके बाद सभी ने खेतों में बालिका की तलाश को कांबिंग शुरू कर दी।तीन घंटे की मशक्कत के बाद रोहटा थाना क्षेत्र के अमनुउल्लापुर गांव के जंगल में गन्ने के खेत में साढ़े नौ बजे बालिका मिल गई। बालिका के हाथ-पैर बंधे हुए थे। मुंह में कपड़ा ठूंस रखा था। नग्न अवस्था में पड़ी बालिका के निजी अंगों से खून बह रहा था।

NATIONAL HUMAN RIGHTS COMMISSION

AMAR UJALA, Delhi, 3.9.2023
Page No. 3, Size:(10.62)cms X (12.50)cms.

निजी स्कूल की बस में छह साल की मासूम का यौन उत्पीड़न

बेगमपुर इलाके की घटना, पीड़ित बच्ची ने एक सीनियर छात्र पर लगाया आरोप

अमर उजाला ब्यूरो

नई दिल्ली। बेगमपुर इलाके में एक निजी स्कूल में पढ़ने वाली छह साल की बच्ची के साथ स्कूल बस में शारीरिक उत्पीड़न करने का मामला सामने आया है। परिवार का आरोप है कि शिकायत करने पर स्कूल प्रशासन ने मामले को दबाने की कोशिश की और शिकायत वापस लेने का दबाव बनाया।

बच्ची के पिता की शिकायत पर बेगमपुर थाना पुलिस ने छेड़छाड़ और पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आरोपी छात्र को पकड़ लिया है। उससे पूछताछ की जा रही है। घटना 23 अगस्त की है। बच्ची अपने परिजनों के साथ रोहिणी इलाके में रहती है। पीड़ित बच्ची के पिता ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उसकी बेटी इलाके के एक निजी स्कूल में पढ़ती है।

23 अगस्त को स्कूल बस ने उसे सोसाइटी के गेट पर छोड़ा। बेटी का बैग गीला था और उसकी बेटी गुमसुम थी। पूछताछ करने पर बेटी ने बताया कि उसके स्कूल में पढ़ने वाला एक सीनियर छात्र बस में सवार था और उसने उसके साथ गंदी हरकत की है।

पिता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी छात्र को पकड़ा

परिजन अगले दिन स्कूल पहुंचे और स्कूल के प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल को घटना की जानकारी दी और कार्रवाई करने की मांग की। परिजनों का आरोप है कि 25 अगस्त को स्कूल के चेयरमैन ने उन्हें स्कूल बुलाया और उनसे शिकायत वापस लेने के लिए कहा। इसके बाद परिजनों ने बेगमपुर थाने में घटना की शिकायत की।

पुलिस ने बच्ची का मेडिकल करवाने के बाद छेड़छाड़ और पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया। रोहिणी जिला पुलिस उपायुक्त गुरइकबाल सिंह ने बताया कि पुलिस ने मामले पर कार्रवाई करते हुए आरोपी छात्र की पहचान करने के बाद उसे पकड़ लिया। पकड़ा गया छात्र नाबालिग है।

यौन उत्पीड़न मामले में दिल्ली पुलिस को नोटिस

नई दिल्ली। दिल्ली के एक निजी स्कूल की बस में छह साल की बच्ची के यौन उत्पीड़न मामले में दिल्ली महिला आयोग ने सख्त रुख अख्तियार करते हुए दिल्ली पुलिस को नोटिस भेजा है। आयोग ने मामले में दर्ज एफआईआर की कॉपी और गिरफ्तारी की जानकारी भी मांगी है। पूछा कि क्या पुलिस को मामले की सूचना न देने और बच्चे की पहचान उजागर करने के लिए पॉक्सो एक्ट के तहत अध्यक्ष, स्कूल प्रबंधक, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल और अन्य स्कूल अधिकारियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। संवाद

हत्या से पहले किशोरी का हुआ था शारीरिक शोषण

शाहबाद डेयरी में किशोरी की हत्या का मामला

नई दिल्ली। शाहबाद डेयरी इलाके में किशोरी की बेरहमी से हत्या के मामले में एफएसएल रिपोर्ट में एक चौकाने वाला खुलासा हुआ है। किशोरी की हत्या करने से पहले उसके साथ दुष्कर्म किया गया था। इस खुलासे के बाद शाहबाद डेयरी थाना पुलिस ने अलग से दुष्कर्म का मामला दर्ज कर नए सिरे से छानबीन शुरू कर दी है।

28 मई की रात साहिल ने 16 साल की किशोरी पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर हत्या कर दी थी। आरोपी ने उसपर चाकू के 34 वार किए और बाद में उसका सिर और चेहरा पत्थर से कुचल दिया था। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पुलिस ने इलाके में ही रहने वाले आरोपी साहिल की पहचान कर उसको बुलंदशहर स्थित बुआ के घर से गिरफ्तार कर लिया था। जांच में पता चला कि दोनों के बीच दोस्ती थी। लेकिन किसी बात पर मनमुटाव होने के बाद किशोरी उससे बात नहीं कर रही थी। साथ ही अपने एक दोस्त के जरिए साहिल को धमकी दिलाने से वह नाराज था। साहिल ने उस समय किशोरी पर हमला कर दिया जब वह सहेली के घर जन्मदिन की पार्टी में जा रही थी।

एफएसएल रिपोर्ट से मामले में आया नया मोड़

मामला दर्ज कर आरोपी की पहचान में जुटी पुलिस

पुलिस ने पहले हत्या की धारा में मामला दर्ज कर साहिल को गिरफ्तार किया था। फिर जांच के बाद उसके खिलाफ पोक्सो, छेड़छाड़ और एससी-एसटी एक्ट की धारा जोड़ी गई। पुलिस ने आरोप पत्र भी अदालत में दाखिल कर दिया। इसी बीच पोस्टमार्टम रिपोर्ट और एफएसएल रिपोर्ट आई।रोहिणी एफएसएल ने पुलिस को जांच रिपोर्ट सौंपी है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि किशोरी की हत्या करने से कुछ घंटे पहले उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए गए थे। यह भी बताया गया कि डीएनए के नमूने आरोपी साहिल के नहीं है। इस खुलासे के बाद शाहबाद डेयरी थाना पुलिस ने अलग से दुष्कर्म का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और पता लगाने की कोशिश कर रही है कि किशोरी के साथ किसने शारीरिक संबंध बनाए थे। ब्यूरो

DAINIK TRIBUNE, Delhi, 3.9.2023
Page No. 10, Size:(5.13)cms X (7.22)cms.

पति और रिश्तेदारों ने महिला को निर्वस्त्र कर घुमाया

वीडियो वायरल होने के बाद 7 आरोपी गिरफ्तार

जयपुर, 2 सितंबर (एजेंसी)

राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले में 21 वर्षीय एक आदिवासी महिला को उसके पति व ससुराल पक्ष के लोगों ने निर्वस्त्र कर गांव में घुमाया। इस शर्मनाक घटना का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस, प्रशासन व सरकार ने कार्रवाई की। पुलिस ने शनिवार को बताया कि 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और 4 अन्य को हिरासत में लिया है। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (अपराध) दिनेश एमएन की निगरानी में पांच सदस्यीय एसआईटी (विशेष जांच दल) गठित की गयी है। पुलिस ने कहा कि इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। वहीं, राज्य मानवाधिकारी आयोग ने 14 सितंबर तक रिपोर्ट तलब की है।

इस बीच, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पीड़ित महिला एवं उसके परिवार से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि सभ्य समाज में इस तरह की घटनाओं तथा उनमें लिप्त अपराधियों का कोई स्थान नहीं है। इन अपराधियों को त्वरित अदालत में मुकदमा चलाकर कड़ी से कड़ी सजा दिलवाई जाएगी। मुख्यमंत्री ने पीड़ित महिला को 10 लाख रुपये की आर्थिक सहायता और सरकारी नौकरी देने की घोषणा की।

NAVODYA TIMES, Delhi, 3.9.2023
Page No. 8, Size:(16.80)cms X (3.97)cms.

पब्लिक स्कूल की बस में 6 साल की बच्ची से छात्र ने की गंदी हरकत

- पुलिस ने मामला दर्ज कर छात्र को पकड़ा
- स्कूल प्रशासन पर छात्रा की पहचान सोसाइटी में उजागार करने का आरोप
- स्कूल प्रशासन ने मामले को दबाने की भी कोशिश की: परिजन

नई दिल्ली,2 सितम्बर (नवोदय टाइम्स): बेगमपुर इलाके में एक पब्लिक स्कूल की बस में 6 साल की छात्रा के साथ उसी के स्कूली छात्र ने छेड़छाड़ की। आरोप है कि छात्रा के परिवार वालों ने जब स्कूल प्रशासन से मामले की शिकायत की। प्रशासन ने उनको चुप रहने के लिए कहा, जिसके बाद परिजनों ने बेगमपुर थाने में शिकायत दी। पुलिस ने पॉस्को के तहत मामला दर्जकर आरोपी छात्र को पकड़ लिया। इस मामले में महिला आयोग ने भी संज्ञान लेकर बेगमपुर पुलिस और स्कूल प्रशासन को नोटिस जारी किया है।

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि बीते बुधवार को बेगमपुर पुलिस को स्थानीय पब्लिक स्कूल की बस में 6 साल की छात्रा के साथ बस में नाबालिग द्वारा छेड़छाड़ करने की शिकायत छात्रा के पिता ने दर्ज करवाई थी, जिसमें बताया गया कि बस के अंदर उनकी बेटी से एक सीनियर छात्र ने सेक्सुअल असॉल्ट किया है। बताया गया कि 6 साल की बच्ची परिवार के साथ रोहिणी इलाके में रहती है। परिवार में माता पिता व अन्य सदस्य हैं। पीड़िता की परिजनों ने पुलिस को बताया कि रोज की तरह 23 अगस्त को उनकी बेटी की स्कूल बस ने उसे सोसायटी के गेट पर छोड़ा तो पता चला। घर पहुंचने पर बेटी गुमसुम थी। परिवार ने उससे पूछा तो बच्ची ने रोते हुए सारी बात अपनी मां को बता दी। आरोप सीनियर क्लास में पढ़ने वाले एक छात्र पर था, जोकि उसी स्कूल बस में सवार था।

बच्ची ने बताया कि आरोपी सीनियर ने उससे गंदी हरकत की थी। परिजन अगले ही दिन स्कूल पहुंच गए। जहां घटना की जानकारी प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल को दी। परिजनों का आरोप है कि 25 अगस्त को चेयरमैन ने उन्हें स्कूल में बुलाया और शिकायत वापस लेने को दबाव डाला। इसके बाद परिजनों ने मामले की शिकायत पुलिस को कर दी।

महिला आयोग ने पुलिस को भेजा नोटिस

इस पूरे मामले में महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालिवाल ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर दिल्ली पुलिस से पूछा है कि क्या पुलिस को मामले की सूचना न देने और बच्चे की पहचान उजागर करने के लिए पोस्को अधिनियम के तहत अध्यक्ष, स्कूलप्रबंधक, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल और अन्य स्कूल अधिकारियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है।

DAINIK BHASKAR, Delhi, 3.9.2023
Page No. 7, Size:(3.57)cms X (4.43)cms.

पिता ने 10 माह के बेटे की हत्या की फिर पेड़ से लटका दिया शव

गरियाबंद | फिंगेश्वर थाना क्षेत्र में एक हृदय विदारक घटना सामने आई है। फिंगेश्वर से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी में मौजूद गनियारी गांव के जंगल में शुक्रवार सुबह 10 माह के मासूम का शव एक पेड़ से लटका मिला। फिंगेश्वर के विनायक नगर वार्ड 12 निवासी दौलत बंजारे ने अपने बेटे ऋषभ की हत्या कर पेड़ पर लटका दिया। पीठ के बल उल्टे बच्चे का गला जींस पेंट से लपेटा गया था। देखने से ही यह हत्या का मामला लग रहा था। मामले में फिंगेश्वर पुलिस ने पीड़िता मृतक बच्चे की मां गायत्री बंजारे की रिपोर्ट के आधार पर आरोपी दौलत बंजारे को गिरफ्तार क्रर मामले को विवेचना में लिया है। वहीं सूचना के बाद मौके पर फिंगेश्वर पुलिस ने पहुंचकर शव का पंचनामा किया। बताया जा रहा है कि दौलत बंजारे शाम को अपने बेटे को लेकर घर से निकला था जो घर लौटा ही नहीं।

NATIONAL HUMAN RIGHTS COMMISSION

HINDUSTAN, Delhi, 3.9.2023
Page No. 6, Size:(20.21)cms X (15.00)cms.

बच्चियों से रेप के मामले बढ़ रहे: कोर्ट

टिप्पणी

■ हेमलता कौशिक

नई दिल्ली। छह साल की बच्ची को अगवा कर बलात्कार मामले में कोर्ट ने 56 साल के व्यक्ति को दोषी करार दिया है। हसनैन को 20 साल की कैद सुनाई गई है। कोर्ट ने हिदायत दी कि सजा के दौरान दोषी को किसी तरह की रियायत या राहत नहीं दी जाएगी। यह बहुत चिंता की बात है कि राजधानी में अबोध बच्चियों के साथ उम्रदराज लोगों द्वारा बलात्कार के मामलों में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है।

कड़कड़डूमा स्थित अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश चारु गुप्ता की अदालत ने कहा कि 56 साल का व्यक्ति छह साल की बच्ची का अपहरण कर बलात्कार करता है। यह बेहद शर्मनाक है। कुछ समय से इस तरह की घटनाओं में तेजी से बढ़ोतरी देखी गई है। इन घटनाओं से परिजनों में चिंता बढ़ी है। अपराध की गंभीरता है कि उम्रदराज लोग उन अबोध बच्चियों को शिकार बना रहे हैं, जो बेहद कम उम्र की हैं। इस तरह के अपराध का शिकार होने पर ताउम्र वह इस जख्म से बाहर नहीं आ पाएंगी।

दोषी को 20 वर्ष कैद की सजा

वरिष्ठ सरकारी वकील मसूद अहमद ने कहा कि इन अपराधों पर रोकथाम के लिए जरूरी है कि दोषी हर व्यक्ति को सख्त सजा सुनाई जाए, ताकि अन्य लोग सबक लें। इन दलीलों के मद्देनजर दोषी हसनैन को कोर्ट ने 20 साल के सख्त कारावास की सजा सुनाई। दोषी पर 26 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। हसनैन ने 25 मई 2019 को घर के बाहर खेल रही बच्ची का अपहरण कर बलात्कार कर उसे वापस छोड़ दिया। परिजनों की शिकायत पर उसमानपुर थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था। पीड़िता के पुनर्वास के लिए कोर्ट ने दिल्ली विधिक सेवा प्राधिकरण को मुआवजा देने को कहा है।

NATIONAL HUMAN RIGHTS COMMISSION

DAINIK BHASKAR, Delhi, 3.9.2023
Page No. 15, Size:(3.40)cms X (8.84)cms.

मणिपुर में सरकार और वहां मीडिया की भूमिका निष्पक्ष नहीं थी : एडिटर्स गिल्ड

भास्कर न्यूज | नई दिल्ली

मणिपुर हिंसा के दौरान वहां मीडिया रिपोर्टिंग को एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया (ईजीआई) ने भेदभाव और पक्षपातपूर्ण बताया है। इसके अलावा, राज्य सरकार और प्रशासन की कई कार्रवाइयों को भी सही नहीं माना है। ईजीआई की तीन सदस्यीय टीम ने 7 से 10 अगस्त तक मणिपुर में हिंसा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया।

ईजीआई के अनुसार, इस बारे में उसे कई अलग-अलग संस्थाओं से रिपोर्ट मिलीं। सेना के थर्ड कोर मुख्यालय से मिले शिकायती पत्र में मीडिया रिपोर्टिंग से जुड़े कुछ उदाहरणों का उल्लेख करते हुए स्पष्ट किया गया कि यह राज्य में हिंसा को और भड़काने में मददगार साबित हो रहा है। गिल्ड की रिपोर्ट के अनुसार इंफाल के मीडिया संस्थान तथ्यों को गलत तरीके से प्रस्तुत करते रहे। एक समुदाय के खिलाफ कमजोर और भड़काने वाली रिपोर्टिंग हुई, जिससे हिंसा बढ़ी।

राज्य सरकार ने कई पक्षपातपूर्ण बयान दिए और नीतिगत फैसले लिए। उदाहरण के तौर पर सरकार ने बिना किसी विश्वसनीय आंकड़े या सबूत के कुकी-जो समुदाय को अवैध अप्रवासी और विदेशी बताया। इससे कुकी को लगा कि उन्हें अलग-थलग किया जा रहा है। इंटरनेट प्रतिबंध ने हालात को मुश्किल बनाया : रिपोर्ट के अनुसार, वहां के हालात को देखते हुए कई भ्रम थे, जिसमें मीडिया संस्थानों के लिए तथ्यों और कल्पना के बीच अंतर करना मुश्किल था। हालांकि, दोनों ही पक्षों ने प्रतिस्पर्धी और विपरीत कहानियां गढ़ीं।

इंटरनेट आधुनिक पत्रकारिता का अनिवार्य उपकरण है, लेकिन इसे प्रतिबंधित करके स्थिति को और मुश्किल बना दिया गया।

NATIONAL HUMAN RIGHTS COMMISSION

DAINIK BHASKAR, Delhi, 3.9.2023
Page No. 15, Size:(2.42)cms X (4.13)cms.

मराठा आरक्षण : हिंसक प्रदर्शन, 360 पर केस

एजेंसी | औरंगाबाद

महाराष्ट्र के औरंगाबाद में मराठा आरक्षण को लेकर हुए प्रदर्शन ने हिंसक रूप ले लिया है। उपद्रव में पुलिसकर्मियों समेत कई लोग घायल हुए हैं। इस मामले में 360 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। इनमें से 16 लोगों की पहचान भी कर ली गई है । दरअसल, औरंगाबाद से करीब 75 किमी दूर अंतरवली सारथी गांव के लोग आरक्षण की मांग को लेकर बीते मंगलवार से भूख हड़ताल पर बैठे थे।

NATIONAL HUMAN RIGHTS COMMISSION

RASHTRIYA SAHARA, Delhi, 3.9.2023
Page No. 10, Size:(11.26)cms X (11.32)cms.

महिला की ओर से दाखिल दहेज प्रताड़ना का मामला खारिज

नई दिल्ली (एसएनबी)। सुप्रीम कोर्ट ने एक महिला की ओर से उसके ससुराल वालों के खिलाफ दर्ज कराए गए दहेज प्रताड़ना के मामले को खारिज कर दिया और कहा कि महिला 'स्पष्ट रूप से प्रतिशोध लेना' चाहती है।

- **सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अपीलकर्ताओं के खिलाफ कार्यवाही जारी रखने की अनुमति देना अन्याय सुनिश्चित करने जैसा होगा**

न्यायालय ने कहा, आपराधिक कार्यवाही को जारी रखने की मंजूरी देना अन्याय सुनिश्चित करने जैसा होगा।

न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस, न्यायमूर्ति संजय कुमार और न्यायमूर्ति एसवीएन भट्टी की तीन सदस्यीय पीठ ने कहा, तथ्यों और परिस्थितियों की समग्रता को देखते हुए उसकी राय यह है कि महिला के अपने ससुराल वालों के खिलाफ लगाए गए आरोप पर्याप्त नहीं हैं और प्रथमदृष्टया उनके खिलाफ कोई मामला नहीं बनता। शीर्ष अदालत ने कहा, महिला स्पष्ट रूप से अपने ससुराल वालों से प्रतिशोध लेना चाहती है। आरोप इतने दूरगामी परिणाम डालने वाले और कपटपूर्ण हैं कि कोई भी विवेकशील व्यक्ति यह निष्कर्ष नहीं निकाल सकता कि उनके खिलाफ कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त आधार हैं। ऐसे हालात में अपीलकर्ताओं के खिलाफ कार्यवाही जारी रखने की अनुमति देना अन्याय सुनिश्चित करने जैसा होगा। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के एक आदेश के खिलाफ दाखिल याचिका पर आया, जिसमें महिला के पूर्व पुरुष रिश्तेदारों तथा सास के खिलाफ कार्यवाही को रद्द करने से इनकार कर दिया गया था।

NATIONAL HUMAN RIGHTS COMMISSION

NAYA INDIA HINDI, Delhi, 3.9.2023
Page No. 8, Size:(9.76)cms X (3.97)cms.

महिला को निर्वस्त्र कर घुमाने के मामले में पांच सदस्यीय एसआईटी गठित

जयपुर ■ (वार्ता) राजस्थान में प्रतापगढ़ जिले के थाना धरियावद क्षेत्र के एक गांव में महिला को निर्वस्त्र कर घुमाने के मामले में जांच के लिए अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (अपराध) दिनेश एम एन की निगरानी में पांच सदस्यीय विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया गया है।

इसमें अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एसआईयूसीएडब्ल्यू प्रतापगढ़ ऋषिकेश मीणा, वृत्ताधिकारी धरियावद धनफूल मीणा, वृत्ताधिकारी मावली उदयपुर कैलाश कुंवर, थानाधिकारी धरियावद पेशावर खान और महिला कांस्टेबल साइबर थाना प्रतापगढ़ पूजा को शामिल किया गया है। पुलिस महानिदेशक उमेश मिश्रा ने बताया कि आईजी बांसवाड़ा रेंज और पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ के सुपरविजन में गठित एसआईटी घटना की समस्त पहलुओं की जांच कर रिपोर्ट राज्य सरकार और पुलिस मुख्यालय को सौंपेगी तथा तकनीकी एवं वैज्ञानिक रूप से साक्ष्य संकलन कर प्रकरण का समयबद्ध निस्तारण करेगी। श्री मिश्रा ने बताया कि थाना धरियावद क्षेत्र के एक गांव में विवाहिता को वैवाहिक विवाद के चलते उसके ससुराल वालों द्वारा निर्वस्त्र कर घुमाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने पर थाना धरियावद पर आईपीसी की संबंधित धाराओं, स्त्री अशिष्ट नियंत्रण अधिनियम व आईटी एक्ट में मुकदमा दर्ज अभियुक्तों को नामजद कर अनुसंधान प्रारंभ किया गया। उन्होंने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्देश पर अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस दिनेश एमएन, संभागीय आयुक्त धरियावद, आईजी बांसवाड़ा रेंज एस परिमला, कलेक्टर इंद्रजीत यादव, एसपी अमित कुमार मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। अभियुक्तों को नामजद कर इनकी गिरफ्तारी के लिए सीओ आशीष कुमार, श्योराज मल मीणा एवं धनफूल मीणा के नेतृत्व में 30 टीमों का गठन किया गया। गठित टीम द्वारा आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए उनके सभी संभावित स्थानों पर दबिश दी गई। त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 12 घंटे के अंदर मुख्य आरोपी कान्हा , नाथू , वेणिया निवासी पहाड़ा निचलाकोटा एवं एक बाल अपचारी को डिटेन कर सात आरोपियों पिन्टू , खेतिया , मोती लाल , पुनिया , केसरा , सुरज एवं नेतिया निवासी पहाडा निचलाकोटा थाना धरियावद को गिरफ्तार किया गया।

श्री मिश्रा ने बताया कि इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने वालों के विरुद्ध भी विधि सम्मत सख्त कार्रवाई की जाएगी।

महिला को निर्वस्त्र घुमाने के मामले में सात आरोपी गिरफ्तार

जयपुर, 2 सितम्बर (एजैंसी): राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले के एक गांव में 21 वर्षीय एक आदिवासी महिला को कथित तौर पर निर्वस्त्र कर घुमाने के मामले में पुलिस ने सात आरोपियों को गिरफ्तार किया है और चार अन्य को हिरासत में लिया है। एक पुलिस अधिकारी ने शनिवार को यह जानकारी दी। कैमरे में कैद हुई इस घटना की विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने आलोचना की है।

इस बीच, प्रतापगढ़ के धरियावद थाना क्षेत्र के एक गांव में महिला को निर्वस्त्र कर घुमाने के मामले की जांच के लिए अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (अपराध) दिनेश एमएन की निगरानी में पांच सदस्यीय एसआईटी (विशेष जांच दल) गठित की गई है। प्रतापगढ़ के पुलिस अधीक्षक अमित कुमार ने बताया कि मामले में सात आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है ओर चार अन्य को हिरासत में लिया गया है। पुलिस महानिदेशक उमेश मिश्रा ने कहा कि एसआईटी घटना के सभी पहलुओं की जांच कर रिपोर्ट राज्य सरकार और पुलिस मुख्यालय को सौंपेगी।

जांच के लिए SIT गठित

NATIONAL HUMAN RIGHTS COMMISSION

RASHTRIYA SAHARA, Delhi, 3.9.2023

Page No. 11, Size:(13.77)cms X (22.38)cms.

महिला को निर्वस्त्र घुमाने के मामले में सात गिरफ्तार

जयपुर (भाषा)। राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले के एक गांव में 21 वर्षीय एक आदिवासी महिला को कथित तौर पर निर्वस्त्र कर घुमाने के मामले में पुलिस ने सात आरोपियों को गिरफ्तार किया है और चार अन्य को हिरासत में लिया है। एक पुलिस अधिकारी ने शनिवार को यह जानकारी दी। कैमरे में कैद हुई इस घटना की विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने आलोचना की है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भीलवाड़ा से प्रतापगढ़ के धरियावद जाकर पीड़ित महिला और उसके परिजनों से मुलाकात करेंगे।

इस बीच,प्रतापगढ के धरियावद थाना क्षेत्र के एक गांव में महिला को निर्वस्त्र कर घुमाने के मामले की जांच के लिए अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (अपराध) दिनेश एमएन की निगरानी में पांच सदस्यीय एसआईटी (विशेष जांच दल) गठित की गई है, जिसमें अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एसआईयूसीएडब्ल्यू प्रतापगढ़ ऋषिकेश मीणा, सीओ धरियावद धनफूल मीणा, सीओ मावली उदयपुर कैलाश कुंवर, धरियावद थानाधिकारी पेशावर खान और महिला कांस्टेबल साइबर थाना प्रतापगढ़ पूजा शामिल हैं। प्रतापगढ़ जिले के पुलिस अधीक्षक अमित कुमार ने बताया कि मामले में सात आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है ओर चार अन्य को हिरासत में लिया गया है। पुलिस महानिदेशक उमेश मिश्रा ने कहा कि एसआईटी घटना के सभी पहलुओं की जांच कर रिपोर्ट राज्य सरकार और पुलिस मुख्यालय को सौंपेगी तथा तकनीकी एवं वैज्ञानिक रूप से साक्ष्य जुटाकर प्रकरण का समयबद्ध निस्तारण करेगी। मिश्रा ने बताया कि धरियावद थाना क्षेत्र के एक गांव में विवाहिता को वैवाहिक विवाद के चलते उसके ससुराल वालों द्वारा निर्वस्त्र कर घुमाने का वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित होने के बाद धरियावद थाने में भारतीय दंड संहिता, स्त्री अशिष्ट रूप प्रतिषेध अधिनियम व सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज घटना की जांच शुरू कर दी गई है।

उन्होंने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक दिनेश एमएन, संभागीय आयुक्त धरियावद, आईजी बांसवाड़ा रेंज एस परिमला, कलेक्टर इंद्रजीत यादव, एसपी अमित कुमार मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया। मिश्रा के अनुसार, आरोपियों को नामजद कर उनकी गिरफ्तारी के लिए सीओ आशीष कुमार, श्योराज मल मीणा और धनफूल मीणा के नेतृत्व में 30 टीमों का गठन किया गया है। उन्होंने बताया कि गठित टीमों ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए उनके सभी संभावित स्थानों पर दबिश दी। अधिकारियों ने बताया कि पुलिस ने मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए 12 घंटे के अंदर मुख्य आरोपी कान्हा गमेती के अलावा नाथू, वेणिया और एक नाबालिग को हिरासत में ले लिया।

मानवाधिकार आयोग ने गहन जांच का दिया निर्देश

राजस्थान राज्य मानवाधिकारी आयोग ने प्रतापगढ़ जिला पुलिस अधीक्षक को पीड़िता को तुरंत आर्थिक सहायता मुहैया कराने और मामले की गहन जांच करने का निर्देश दिया है। आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति गोपाल कृष्ण व्यास ने पुलिस अधीक्षक को निर्देश दिया है कि वह प्रतिकर नीति 2011 के तहत क्षतिपूर्ति देने के लिए पीड़िता का प्रकरण जिला विधिक सहायत समिति, प्रतापगढ को प्रेषित करें, जिससे उसे तुरंत आर्थिक सहायता प्राप्त हो सके। उन्होंने मामले की जांच कर 14 सितंबर तक रिपोर्ट पेश करने को भी कहा है। इससे पहले, पुलिस महानिदेशक उमेश मिश्रा ने एक बयान में कहा था कि प्राथमिकी में छेड़छाड़, महिला की पिटाई और अन्य संबंधित धाराओं के तहत 10 लोगों को नामित किया गया है, जिनमें से मुख्य आरोपी समेत आठ को हिरासत में लिया गया है। मिश्रा ने बताया था कि पीड़िता ने अपने पति कान्हा गमेती के अलावा सूरज, बेनिया, नेतिया, नाथू और महेंद्र के खिलाफ जबरन मोटरसाइकिल पर ले जाने और गांव में निर्वस्त्र कर घुमाने का मामला दर्ज कराया है।

HINDUSTAN, Delhi, 3.9.2023
Page No. 1, Size:(13.16)cms X (14.34)cms.

महिला को निर्वस्त्र घुमाने में सात आरोपी गिरफ्तार

- राजस्थान के प्रतापगढ़ क्षेत्र में शर्मनाक घटना
- मुख्यमंत्री ने जांच के लिए एसआईटी गठित की

जयपुर, एजेंसी। राजस्थान में प्रतापगढ़ जिले के एक गांव में 21 वर्षीय आदिवासी महिला को निर्वस्त्र कर घुमाने का मामला सामने आया। इस घटना में पुलिस ने गुरुवार को सात आरोपियों को गिरफ्तार किया। जबकि चार अन्य को हिरासत में लिया गया है।

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शनिवार दोपहर पीड़िता से मिलकर उसे 10 लाख की आर्थिक सहायता दी और सरकारी नौकरी देने की घोषणा की। साथ ही एसआईटी से जांच कराने की बात कही। प्रतापगढ़ के एसपी अमित कुमार ने बताया कि यह मामला धरियावद थाना क्षेत्र के एक गांव में विवाहिता को वैवाहिक विवाद के चलते उसके ससुराल वालों द्वारा निर्वस्त्र कर घुमाने से जुड़ा है। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित होने के बाद धरियावद थाने में 10 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस के अनुसार, इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।

NATIONAL HUMAN RIGHTS COMMISSION

PUNJAB KESARI, Delhi, 3.9.2023
Page No. 10, Size:(9.33)cms X (9.86)cms.

तिहाड़ जेल महिला पहलवान का आरोप दो महीने पहले ही दी थी झूठ केस में फसाने की धमकी...

महिला पहलवान का दावा, जेलर का मेरे पति के साथ दो नंबर का लेनदेन

नई दिल्ली, (पंजाब केसरी): बॉडी बिल्डिंग फेम तिहाड़ जेल के असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट दीपक शर्मा ने जिस महिला पहलवान रौनक गुलिया पर 51 लाखों रुपए की ठगी का आरोप लगाया है, उसका का दावा है कि जेलर दीपक शर्मा का उसके पति के साथ दो नंबर का धंधा और रुपयों का लेनदेन था। उसे झूठा फंसाया गया है। उसने मेहनत से जो पहचान बनाई नाम कमाया, झूठा मुकदमा दर्ज करा उसे खराब कर रहा है। इसके अलावा पहलवान रौनक गुलिया ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म (इंस्टा) पर जेलर दीपक शर्मा पर और भी कई गंभीर आरोप लगाए हैं। सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल है। यहां बता दें कि दीपक शर्मा ने रौनक गुलिया व उसके पति अंकित गुलिया पति दिल्ली के मधु विहार थाने में करीब 51 लाख रुपए की ठगी का मुकदमा दर्ज कराया है। वहीं कथित तौर पर इस मुकदमे से परेशान होकर महिला पहलवान रौनक गुलिया ने हिसार में अपने हाथ की कलाई काटकर खुदकुशी की कोशिश की। जेलर दीपक शर्मा ने कहा कि महिला विक्टिम कार्ड खेल रही है। वह भी ऐसा कुछ कर सकते हैं, मगर उन्होंने न्याय के लिए कानून का रास्ता चुना है।

रौनक गुलिया

दीपक शर्मा

इंस्टाग्राम पर लाइव वीडियो... महिला पहलवान रौनक गुलिया ने हाथ की नस काटने से पहले अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो शेयर की, जिसमें कि उसने खुद को बेकसूर बताया। रौनक गुलिया ने इंस्टाग्राम पर अपनी वीडियो शेयर करते हुए कहा उसके खिलाफ एक न्यूज चल रही है कि 51 लाख रुपए ठग लिए। जिस तारीख की बात है, उस तारीख मैं आउट ऑफ इंडिया थी। जिस कंपनी को बंद हुए साल भर हो गया, उस कंपनी का नाम ले रहा है। फरार बता रहा है। मैं फरार नहीं हूं। मैं तो प्रक्टिस कर रही हूं, ट्रायल दे रही हूं। अपने घर पर हूं।

पति का कर रही है बचाव... महिला पहलवान रौनक गुलिया के आरोपों का जवाब देते हुए जेलर दीपक शर्मा ने कहा कि महिला एफआईआर दर्ज होने के बाद विक्टिम कार्ड खेल रही है। अंकित गुलिया से दो नंबर के लेनदेन पर दीपक ने कहा कि यह तो उसका पति बताएगा। क्या वह पति की वकील है। उसका पति खुद क्यों सामने नहीं आ रहा।

पति के साथ सट्टेबाजी-शराब का धंधा...

वायरल वीडियो में आरोपी महिला पहलवान रौनक गुलिया ने कहा कि अंकित के साथ दीपक का दो नंबर का लेनदेन था, सट्टेबाजी, गाड़ी, दारू का। दोनों का आपस में पैसे का लेन-देन था। मेरी जानकारी में भी नहीं था। जब इनकी बिगड़ गई तो उसका मेरे पास फोन आया। मेरे खिलाफ झूठी एफआईआर कराके बदनाम कर रहा है। मेरे अकाउंट में पैसा आया हो या उससे मिली हूं, कोई भी जांच करा लो। अब बर्दाश्त से बाहर है।

पहलवान जेलर पर इतना पैसा कहां से आया?... एक महिला पहलवान और उसके पति पर 51 लाख रुपए की धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कराने वाले तिहाड़ जेल के पहलवान जेलर दीपक शर्मा पर भी उल्टा कई सवाल खड़े हो रहे है। सोशल मीडिया पर लोग उनकी ईमानदारी पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि आखिर उनके पास इतना पैसा कहां से आया ? नौकरी के अलावा इनकम का क्या सोर्स है? क्या एक सरकारी अधिकारी ड्यूटी करने के साथ-साथ किसी बिजनेस में पैसा लगाकर लाभ कमा सकता है। यह सब अब जांच का विषय है। क्योंकि महिला पहलवान रौनक ने भी संदीप को पटखनी देते हुए गलत धंधों में लिप्त होने के गंभीर आरोप लगाया है। दीपक शर्मा के साथ अक्सर नजर आने वाली सिक्योरिटी भी सवालों के घेरे में है। जब भी वह कहीं पार्टी या कार्यक्रम में नजर आते हैं तो उनके साथ अच्छी खासी सिक्योरिटी नजर आती है। सवाल है कि क्या वह तिहाड़ की सिक्योरिटी लेकर चलते हैं या निजी सिक्योरिटी गार्ड हैं।

NATIONAL HUMAN RIGHTS COMMISSION

NAVBHARAT TIMES, Delhi, 3.9.2023
Page No. 1, Size:(13.98)cms X (15.66)cms.

राजस्थान की घटना, जांच के लिए बनाई गई SIT

महिला से बदसलूकी के विडियो पर BJP ने घेरा

■पीटीआई, जयपुर

राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले के एक गांव में 21 साल की एक आदिवासी महिला को कथित तौर पर निर्वस्त्र कर घुमाने के मामले में पुलिस ने पति समेत 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही एक नाबालिग को हिरासत में लिया गया है। एक पुलिस अधिकारी ने शनिवार को यह जानकारी दी। उधर, BJP नेता वसुंधरा राजे ने कहा कि विडियो सोशल मीडिया पर वायरल था और प्रशासन को इसका पता ही नहीं था। उन्होंने लोगों से घटना का विडियो साझा न करने की अपील करते हुए कहा कि इस घटना ने राजस्थान को शर्मसार किया है।

उधर, मामले की जांच के लिए ADG (क्राइम) दिनेश एम. एन. की निगरानी में पांच सदस्यों की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) बनाई गई है। प्रतापगढ़ जिले के SP अमित कुमार ने बताया कि मामले में सात आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और चार अन्य को हिरासत में लिया गया है। DGP उमेश मिश्रा ने कहा कि SIT घटना के सभी पहलुओं की जांच कर रिपोर्ट राज्य सरकार और पुलिस हेडक्वॉर्टर को सौंपेगी और तकनीकी-वैज्ञानिक रूप से सबूत जुटाकर मामले का समयबद्ध निपटारा करेगी। डीजीपी ने कहा कि पीड़िता ने अपने पति और अन्य लोगों के खिलाफ उसे जबरन मोटरसाइकिल पर ले जाने और बिना कपड़ों के घुमाने की शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने यह भी कहा कि भागने की कोशिश के दौरान तीन आरोपी घायल हो गए।

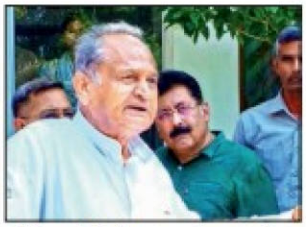

पीड़िता से मिले CM अशोक गहलोत।

प्रियंका बोलीं, पीड़िता को जल्द न्याय मिले

■पीटीआई, नई दिल्ली : कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने महिला को निर्वस्त्र कर घुमाने की घटना को लेकर शनिवार को कहा कि आशा है कि पीड़िता को जल्द न्याय मिलेगा और घटना को अंजाम देने वालों को सख्त सजा मिलेगी। प्रियंका गांधी ने 'एक्स' पर पोस्ट किया, 'महिलाओं के खिलाफ अपराध की घटनाओं में तेजी से और सख्त कार्रवाई करते हुए अपराधियों को सजा दिलाना जरूरी है। राजस्थान सरकार ने तेजी से कार्रवाई कर अपराधियों की गिरफ्तारी की है और फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलाकर सजा दिलाने की घोषणा की है।'

NATIONAL HUMAN RIGHTS COMMISSION

JANSATTA, Delhi, 3.9.2023
Page No. 3, Size:(10.76)cms X (7.26)cms.

यौन उत्पीड़न से परेशान होकर नाबालिग ने कर दी थी निजी शिक्षक की हत्या

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 2 सितंबर।

जामिया नगर थाना क्षेत्र के बाटला हाउस इलाके में एक शख्स की हत्या गर्दन पर तेज धारदार हथियार से वार कर की गई थी। वारदात की जानकारी पुलिस को 30 अगस्त को दोपहर 2:15 बजे मिली थी। सूचना मिलने पर पुलिस की टीम जब मौके पर पहुंची तो पाया कि 28 साल का वसीम उर्फ अल्ताफ खून से लथपथ पड़ा है। पुलिस की टीम उसे पास के अस्पताल में लेकर गई, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर लिया और घटनास्थल पर लगे सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आगे की जांच में जुट गई। छानबीन के बाद पुलिस को पता चला कि घटना के पीछे इलाके में ही रहने वाले एक नाबालिग का हाथ है, जिसका वसीम यौन उत्पीड़न कर रहा था।

शिक्षक नाबालिग का पिछले दो महीने से कर रहा था उत्पीड़न, बना लिया था वीडियो।

वारदात की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस को खून से लथपथ मिले थे शिक्षक।

बाद में पुलिस ने नाबालिग को पकड़ लिया। पूछताछ में नाबालिग ने बताया कि वसीम ने उसका वीडियो बना लिया था और पिछले दो महीने से सोशल मीडिया पर साझा करने का धमकी देकर उसका उत्पीड़न कर रहा था।

दक्षिणी पूर्वी जिला पुलिस उपायुक्त राजेश देव ने शनिवार को बताया कि पिछले 30 अगस्त को दोपहर 2:15 बजे सूचना मिली थी कि एक युवक किराए के मकान में अचेत अवस्था में पड़ा है और उसकी गर्दन पर धारदार हथियार से हमला किया गया है। सूचना मिलने पर पुलिस की टीम जाकिर नगर में मक्का प्लेस होटल के सामने वाले मकान की दूसरी मंजिल पर पहुंची, जहां वसीम जख्मी हालत में मिला। छानबीन करने पर पता चला कि वसीम ट्यूशन देने का काम करता था।

उपायुक्त ने बताया कि छानबीन करने पर वारदात के पीछे एक नाबालिग के हाथ होने का पता चला, जिसकी पहचान की गई। पकड़े जाने पर नाबालिग ने बताया कि वसीम समलैंगिक गतिविधियों में लिप्त था और वह पिछले दो महीने से लगातार उसके साथ यौन शोषण कर रहा था। वसीम ने किशोर का वीडियो बनाया था और उसे वीडियो जारी करने की धमकी दी थी। घटना वाले दिन सुबह करीब 11:30 बजे फोन कर किशोर को बुलाया था। किशोर भांप गया था कि उसके साथ गलत काम करेगा। इस वजह से योजना के तहत वह तेज धारदार हथियार लेकर पहुंचा और मौका मिलते ही वसीम का गला रेत दिया और मौके से फरार हो गया।

NATIONAL HUMAN RIGHTS COMMISSION

DAINIK BHASKAR, Delhi, 3.9.2023
Page No. 1, Size:(4.78)cms X (5.78)cms.

राजस्थान : गर्भवती महिला को निर्वस्त्र कर घुमाया, 7 गिरफ्तार

पति और ससुराल वालों ने ही घटना को अंजाम दिया

भास्कर न्यूज | प्रतापगढ़

राजस्थान में प्रतापगढ़ जिले की पहाड़ा पंचायत में गुरुवार को एक आदिवासी गर्भवती महिला को निर्वस्त्र कर घुमाने के मामले में पुलिस ने पति सहित दस आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। एक नाबालिग को भी हिरासत में लिया है। महिला 6 माह की गर्भवती है। पति और ससुराल के अन्य लोग महिला के किसी दूसरे पुरुष के साथ रहने से नाराज थे। घटना का वीडियो वायरल हो गया था। महिला आयोग ने मामले की जांच के लिए कमेटी गठित कर डीजीपी से पांच दिन में रिपोर्ट मांगी है। सीएम अशोक गहलोत शनिवार को धरियावद पंहुचे और पीड़िता को नौकरी और 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की।

घर के दरवाजे पर लिखा है- बहू-बेटियों की इज्जत बचाओ...

धरियावद से राकेश पाराशर/विवेक उपाध्याय | धरियावद क्षेत्र के जिस गांव में गर्भवती से हैवानियत हुई, वहां शनिवार को सन्नाटा पसरा था। 31 अगस्त की शाम को महिला को निर्वस्त्र कर गांव में घुमाने की घटना का वीडियो वायरल होने के बाद से यहां रहने वाले परिवार गांव छोड़कर भाग चुके हैं। आरोपी पति व परिवार के घर के बाहर दरवाजे पर स्वच्छ भारत मिशन के स्लोगन के रूप में लिखा था- बहू-बेटियों की इज्जत बचाओ...। और कृत्य ऐसा कि मानवता शर्मसार हो गई।

राजस्थान में गर्भवती पत्नी को निर्वस्त्र कर घुमाया

जागरण संवाददाता, जयपुर : राजस्थान में प्रतापगढ़ जिले के एक गांव में मणिपुर जैसी घटना सामने आई। यहां गर्भवती आदिवासी महिला को उसके पति ने अपने स्वजन के साथ मिलकर निर्वस्त्र कर एक किलोमीटर तक घुमाया। वह चीखती-चिल्लाती रही, लेकिन मदद के बजाय ग्रामीण वीडियो बनाते रहे। घटना 31 अगस्त की है। इसका वीडियो शुक्रवार देर शाम इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हुआ। पुलिस ने शनिवार को सात आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया। उसके पति सहित तीन लोग हिरासत में लिए गए, जो अस्पताल में भर्ती हैं। उनके स्वस्थ होते ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मानवाधिकार आयोग व राष्ट्रीय महिला आयोग ने जांच कमेटी गठित की है। भाजपा ने सांसद दीया कुमारी के नेतृत्व में तीन सदस्यीय टीम भेजी है। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा व पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने वारदात की निंदा की है।

राजस्थान के प्रतापगढ़ में शनिवार को पीड़िता से मुलाकात के बाद मीडिया के प्रश्नों का उत्तर देते सीएम अशोक गहलोत • प्रेट्र

- प्रतापगढ़ में सामने आई घिनौनी हरकत, पति सहित तीन हिरासत में, सात गिरफ्तार
- भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा व पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने की घटना की निंदा

प्रतापगढ़ के पुलिस अधीक्षक अमित कुमार ने बताया कि महिला की शादी डेढ़ साल पहले उसके गांव के ही एक व्यक्ति से हुई थी। शादी के 10 महीने बाद नाता प्रथा के तहत पड़ोस के गांव के एक युवक के साथ वह रहने लगी। आदिवासियों में नाता प्रथा है (विवाहित महिला पति को छोड़कर किसी अन्य पुरुष के साथ बिना शादी के रह सकती है)। करीब एक साल बाद 30 अगस्त को अपने गांव लौटी तो उसके ससुराल पक्ष को इसकी जानकारी मिल गई। 31 अगस्त को आरोपित उसे जबरन ले गए। इसके बाद उसे निर्वस्त्र कर गांव में घुमाया। शेष >> पेज 10

राजस्थान में गर्भवती पत्नी...

इस दौरान वह चीखती-चिल्लाती रही। ग्रामीण मोबाइल से वीडियो बनाते रहे। किसी ने मदद नहीं की। महिला छह महीने की गर्भवती है। देर रात वह मायके वालों के साथ थाने पहुंची। इस बीच महिला के पति सहित अन्य आरोपितों को यह सूचना मिल गई कि पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने की तैयारी कर रही है, जिस पर वे जंगल में भाग गए। इस दौरान उनके पैरों में चोट लग गई। पुलिस ने पति सहित तीन को जंगल से पकड़ लिया गया। शेष सात आरोपितों की गांव से गिरफ्तारी हुई।

PUNJAB KESARI, Delhi, 3.9.2023
Page No. 1, Size:(9.23)cms X (7.47)cms.

शर्मनाक घटना का वीडियो बनाते रहे लोग, मुख्यमंत्री ने पीड़िता से मुलाकात की

राजस्थान में महिला को निर्वस्त्र कर घुमाया

बनवारी कुमावत, पंजाब केसरी/जयपुर

राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले से इंसानियत को शर्मसार करने वाली एक घटना सामने आई है। यहां गुरुवार को कथित तौर पर एक आदिवासी महिला को उसके पति ने पीटा, निर्वस्त्र किया और उसके गांव में घुमाया। इस दौरा लोग उसकी वीडियो बनाते रहे। हमले के एक चौंकाने वाले वीडियो में एक व्यक्ति, कथित तौर पर पति, 21 वर्षीय महिला को उनके घर के बाहर निर्वस्त्र कर रहा है और वह मदद के लिए चिल्ला रही है। महिला गर्भवती बताई जा रही है। पुलिस के अनुसार, महिला कथित तौर पर किसी अन्य पुरुष के साथ रिश्ते में थी, जिसके कारण उस पर हमला हुआ। पुलिस ने इस मामले में उसके पति सहित सात लोगों को हिरासत में लिया गया है। पुलिस ने शनिवार को यह जानकारी दी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भीलवाड़ा से प्रतापगढ़ के धरियावाद जाकर पीड़ित महिला और उसके परिजनों से मुलाकात की। उन्होंने

कहा कि सभ्य समाज में इस तरह की घटनाओं तथा इनमें लिप्त अपराधियों का कोई स्थान नहीं है। मुख्यमंत्री ने कहा अपराधियों को फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकद्दमा चलाकर कड़ी से कड़ी सजा दिलवाई जाएगी। उन्होंने पीड़ित महिला को 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता तथा सरकारी नौकरी देने की घोषणा की। प्रतापगढ़ जिले के पुलिस अधीक्षक ने बताया कि मामले में सात आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है ।

पीड़िता को जल्द न्याय मिलेगा : प्रियंका

नई दिल्ली, (पंजाब केसरी): कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले में एक महिला को निर्वस्त्र कर घुमाने की घटना को लेकर शनिवार को कहा कि आशा है कि पीड़िता को जल्द न्याय मिलेगा और घटना को अंजाम देने वालों को सख्त सजा मिलेगी। प्रियंका गांधी ने 'एक्स' पर पोस्ट किया, ''महिलाओं के खिलाफ अपराध की घटनाओं में त्वरित व सख्त कार्रवाई करते हुए अपराधियों को सजा दिलाना अति आवश्यक है। उन्होंने कहा, ''आशा है कि पीड़िता को जल्द से जल्द न्याय मिलेगा और इस नृशंस घटना को अंजाम देने वालों को सख्त सजा मिलेगी।''

पंजाब केसरी
Sun, 03 September 2023
https://mpaper.punjabkesari.com/c/73354920

NATIONAL HUMAN RIGHTS COMMISSION

JANSATTA, Delhi, 3.9.2023
Page No. 14, Size:(3.56)cms X (10.03)cms.

राजस्थान में महिला से शर्मनाक बरताव, सात आरोपी गिरफ्तार

जयपुर, 2 सितंबर (भाषा)।

राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले के एक गांव में 21 वर्षीय एक आदिवासी महिला को कथित तौर पर निर्वस्त्र कर घुमाने के मामले में पुलिस ने सात आरोपियों को गिरफ्तार किया है और चार अन्य को हिरासत में लिया है। एक पुलिस अधिकारी ने शनिवार को यह जानकारी दी।

कैमरे में कैद हुई इस घटना की विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने आलोचना की है। मुख्यमंत्री गहलोत ने पीड़ित महिला एवं उसके परिवार से मुलाकात की और पीड़ित महिला को 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता तथा सरकारी नौकरी देने की घोषणा की। मामले की जांच के लिए अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (अपराध) दिनेश एमएन की निगरानी में पांच सदस्यीय एसआइटी (विशेष जांच दल) गठित की गई है, जिसमें अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एसआईयूसीएडब्लू प्रतापगढ़ ऋषिकेश मीणा, सीओ धरियावद धनफूल मीणा, सीओ मावली उदयपुर कैलाश कुंवर, धरियावद थानाधिकारी पेशावर खान और महिला कांस्टेबल साइबर थाना प्रतापगढ़ पूजा शामिल हैं। पुलिस अधीक्षक अमित कुमार ने बताया कि मामले में सात आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है ओर चार अन्य को हिरासत में लिया गया है। पुलिस महानिदेशक उमेश मिश्रा के अनुसार, आरोपियों को नामजद कर उनकी गिरफ्तारी के लिए सीओ आशीष कुमार, श्योराज मल मीणा और धनफूल मीणा के नेतृत्व में 30 टीमों का गठन किया गया है।

NATIONAL HUMAN RIGHTS COMMISSION

DAINIK BHASKAR, Delhi, 3.9.2023
Page No. 8, Size:(7.10)cms X (5.12)cms.

58 साल का है तहसीलदार, दो साल बाद रिटायरमेंट होना है

रोहट तहसीलदार सस्पेंड, महिला पटवारी से कहता था- आंखें नशीली हैं, बीयर पीती हो?

भास्कर न्यूज | पाली

महिला पटवारियों से अश्लीलता के आरोप में रोहट के 58 वर्षीय तहसीलदार बाबूसिंह राजपुरोहित को शुक्रवार रात सस्पेंड कर दिया गया। तहसीलदार को रेवेन्यू बोर्ड अजमेर भेजते हुए विभागीय जांच के आदेश जारी किए हैं। उनके खिलाफ तीन महिला पटवारियों ने शिकायत की थी।

आरोप है कि तहसीलदार महिला स्टाफ को बुलाकर आपत्तिजनक बातें करता था। महिला पटवारी को अश्लील मैसेज भेजता और आपत्तिजनक बातें करता था। एक महिला पटवारी ने वॉट्सएप मैसेज के स्क्रीनशॉट और कॉल डिटेल भी पेश की है। तहसीलदार 2 साल बाद रिटायर होने वाला है। महिला पटवारी को मैसेज में लिखता- मैंने पहले दिन से ही आपको सलेक्ट कर लिया था। मुझसे बात क्यों नहीं करतीं? इतना उदास क्यों रहती हो, मुझे आपका खिला हुआ चेहरा पसंद है। आपको जो चाहिए मैं करूंगा, छुट्टी चाहिए तो दूंगा। आप डरते क्यों हो? आप मुझसे बात क्यों नहीं करते ? होटल बुक करवानी हो, गाड़ी में घुमाना हो, अच्छा खाना खाना हो तो बताओ। मुझे अपना दोस्त समझो। आपकी आंखें नशीली लगती हैं, बीयर पीती हो क्या?

आरोप झूठे, फंसाया जा रहाः तहसीलदार

तहसीलदार बाबूसिंह का कहना है, आरोप झूठे हैं। पटवारी ड्यूटी में लापरवाही बरत रहे थे। सभी को ड्यूटी टाइम में ऑफिस में रहने के लिए पाबंद किया था। इसीलिए ऐसे आरोप लगा रही हैं। मैंने किसी को गलत मैसेज नहीं किया। मुझे फंसाया जा रहा है।

HARI BHOOMI, Delhi, 3.9.2023
Page No. 2, Size:(4.07)cms X (5.83)cms.

रोहिणीः स्कूल बस में बच्ची पर यौन हमला

डीसीडब्ल्यू ने पुलिस को जारी किया नोटिस

एजेंसी ▶▶ नई दिल्ली

उत्तर-पश्चिमी दिल्ली के रोहिणी इलाके में एक स्कूल बस के अंदर एक वरिष्ठ छात्र ने छह-वर्षीय लड़की का कथित तौर पर यौन उत्पीड़न किया। पुलिस ने शनिवार को यह जानकारी दी। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि आरोपी को पकड़ लिया गया है इससे पहले दिन में दिल्ली महिला आयोग (डीसीडब्ल्यू) ने रोहिणी के पुलिस उपायुक्त को एक नोटिस जारी करके एक निजी स्कूल बस में नाबालिग बच्ची के यौन उत्पीड़न मामले में की गयी कार्रवाई से संबंधित जानकारी मांगी है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि पुलिस को बुधवार को एक नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ की घटना की जानकारी मिली। अधिकारी ने कहा कि पीड़िता के पिता ने अपनी लिखित शिकायत में आरोप लगाया है कि उनकी बेटी के साथ स्कूल बस में एक लड़के ने छेड़छाड़ की थी। अधिकारी के अनुसार, ''आईपीसी की धारा 354 (महिला का शील भंग करने के इरादे से उस पर हमला या आपराधिक बल प्रयोग) और 228ए (कुछ अपराधों की पीड़िता की पहचान का खुलासा करना) और यौन उत्पीड़न से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम की धारा 10/21 के तहत बेगमपुर पुलिस में मामला दर्ज किया गया है। अधिकारी ने बताया कि आरोपी को पकड़ लिया गया है और आगे की जांच जारी है।

AMAR UJALA, Delhi, 3.9.2023
Page No. 1, Size:(10.50)cms X (8.56)cms.

शर्मनाक : आदिवासी महिला को निर्वस्त्र कर घुमाया, दस गिरफ्तार

राजस्थान में मणिपुर जैसी वारदात : वीडियो वायरल, चीख-चीखकर मदद मांगती रही पीड़िता

जयपुर। राजस्थान के प्रतापगढ़ में मणिपुर की तरह महिला से दरिंदगी का मामला सामने आया है। यहां धरियावद में छह माह की गर्भवती आदिवासी महिला को निर्वस्त्र कर गांव वालों के सामने एक किमी तक घुमाने का वीडियो वायरल हुआ है। पुलिस ने शनिवार को बताया कि आरोपी पति समेत दस को गिरफ्तार किया गया है, जबकि एक नाबालिग हिरासत में है।

धरियावद के थाना प्रभारी पेशावर खान ने बताया कि 21 वर्षीय पीड़िता की शादी डेढ़ साल पहले पहाड़ा गांव के युवक कान्हा से हुई थी। शादी के छह महीने बाद महिला दूसरे युवक के साथ चली गई थी। सालभर बाद 30 अगस्त को जब लौटी, तो उसके ससुराल वाले उसे जबरन अपने गांव पहाड़ा ले आए। इसके बाद उसके पति ने गांव वालों के सामने ही जबरन उसके कपड़े उतारे और निर्वस्त्र कर घुमाया। घटना बृहस्पतिवार की है। वायरल वीडियो में पीड़िता चीखकर छोड़ देने और लोगों से बचाने की गुहार करती नजर आ रही है। पीड़िता के साथ मारपीट भी की गई। सीएम अशोक गहलोत ने पीड़िता से मुलाकात कर सरकारी नौकरी और 10 लाख रुपये आर्थिक मदद देने का एलान किया। इससे पहले, उन्होंने एक्स पर लिखा, सभ्य समाज में ऐसे अपराधियों की कोई जगह नहीं है। फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चलाकर इन्हें सजा दिलवाई जाएगी। जबकि, विपक्षी दलों ने वारदात की कड़ी निंदा की है। महिला आयोग ने मामले की जांच के लिए समिति का गठन किया है। एजेंसी

>> राजस्थान हो रहा शर्मिंदा : पेज 15

राजस्थान में दरिंदगी का वीडियो वायरल। एजेंसी

एसआईटी करेगी मामले की जांच

डीजीपी उमेश मिश्रा ने कहा, आईजी बांसवाड़ा रेंज और एसपी प्रतापगढ़ की देखरेख में विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया गया है। यह सभी पहलुओं की जांच कर रिपोर्ट राज्य सरकार और पुलिस मुख्यालय को सौंपेगी।

दस लोगों के खिलाफ नामजद केस

डीजीपी मिश्रा ने बताया, महिला की शिकायत पर एफआईआर में 10 लोगों को नामजद किया गया है। महिला ने कान्हा, सूरज, बेनिया, नेतिया, नथू व महेंद्र के खिलाफ जबरन बाइक पर ले जाने और निर्वस्त्र करने की शिकायत दी थी।

मणिपुर से तुलना गलत

यह बहुत ही दुखद घटना है। भाजपा इस घटना की मणिपुर की घटना से तुलना

कर आरोपियों की मदद कर रही है। जिन्होंने अपराध किया है, उनके हौसले बुलंद कर रही हैं कि ये सब होता रहता है। यही उनकी मंशा है।
-अशोक गहलोत, सीएम, राजस्थान

शासन व्यवस्था नदारद

राजस्थान में शासन व्यवस्था पूरी तरह से नदारद है। सीएम और मंत्री गुटीय झगड़ों को निपटाने में व्यस्त हैं। इससे

बचा समय दिल्ली में एक राजवंश को खुश करने में जा रहा है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि राज्य में महिला सुरक्षा के मुद्दे को पूरी तरह से नजरअंदाज किया जा रहा है।
-जेपी नड्डा, राष्ट्रीय अध्यक्ष, भाजपा

HINDUSTAN, Delhi, 3.9.2023
Page No. 6, Size:(20.29)cms X (12.67)cms.

स्कूल बस में छह वर्षीय बच्ची से छेड़छाड़

शर्मनाक

नई दिल्ली, वरिष्ठ संवाददाता। बेगमपुर इलाके में छह साल की बच्ची से स्कूल बस में छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। पुलिस ने 16 वर्षीय छात्र को हिरासत में लेकर बाल सुधार गृह भेज दिया है। पीड़िता बेगमपुर स्थिति निजी स्कूल में पढ़ती है।

बच्ची की मां ने बताया कि 23 अगस्त को जब उनकी बेटी को स्कूल बस ने सोसाइटी के गेट पर छोड़ा तो उन्होंने देखा कि उसका बैग पेशाब के कारण गीला हो गया था। बच्ची ने बताया कि सीनियर क्लास में पढ़ने वाला एक छात्र स्कूल बस में उससे छेड़छाड़ कर रहा था। 24 अगस्त को महिला अपने पति के साथ स्कूल गई और प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल को घटना के बारे में बताया। उनका आरोप है कि 25 अगस्त को चेयरमैन ने उन्हें स्कूल में बुलाया और शिकायत वापस लेने को कहा। चेयरमैन ने उनकी सोसाइटी के लोगों के बीच बच्ची की पहचान भी उजागर कर दी। परिजनों ने 30 अगस्त को बेगमपुर थाने में लिखित शिकायत दी, जिसके बाद मुकदमा दर्ज कर आरोपी छात्र को हिरासत में लिया गया।

दिल्ली महिला आयोग ने नोटिस जारी किया

नई दिल्ली, प्र.सं.। मामले में दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है। आयोग ने पूछा कि क्या पुलिस को मामले की सूचना न देने और बच्ची की पहचान उजागर करने के लिए पॉक्सो अधिनियम के तहत अध्यक्ष, स्कूल प्रबंधक, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल और अन्य स्कूल अधिकारियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। आयोग ने दिल्ली पुलिस से मामले में पांच सितंबर तक की गई कार्रवाई रिपोर्ट मांगी है।

PUNJAB KESARI, Delhi, 3.9.2023
Page No. 8, Size:(11.46)cms X (8.52)cms.

स्कूल प्रशासन पर आरोप मामला दबाने की कोशिश की गई, पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू की

स्कूल बस में छह साल की बच्ची के साथ किया शारीरिक शोषण

पश्चिमी दिल्ली, (पंजाब केसरी): रोहिणी इलाके में एक निजी स्कूल में पढ़ने वाली छह साल की छात्रा से स्कूल बस में ही शारीरिक शोषण का मामला सामने आया है। आरोपी स्कूल के ही एक सीनियर छात्र पर है। पीड़िता के परिजनों का आरोप है कि स्कूल प्रशासन ने मामले को दबाने की कोशिश की थी। गत 30 अगस्त को पीड़ित बच्ची के पिता ने बेगमपुर थाने में शिकायत दी तो पुलिस हरकत में आई और तुरंत केस दर्ज कर कार्रवाई करते हुए आरोपी छात्र को पकड़ लिया। पुलिस के मुताबिक 6 वर्षीय बच्ची अपने परिवार के साथ रोहिणी इलाके में रहती है। परिवार में माता पिता व अन्य सदस्य हैं। पीड़िता की परिजनों ने पुलिस को बताया कि रोज की तरह 23 अगस्त को उनकी बेटी की स्कूल बस ने उसे सोसायटी के गेट पर छोड़ा था। घर पहुंचने पर बेटी गुमसुम थी। परिवार ने उससे पूछा तो बच्ची ने रोते हुए बताया कि सीनियर क्लास में पढ़ने वाले एक छात्र जो स्कूल बस में सवार था। उसने उसके साथ गंदी हरकत की थी। परिजन अगले ही दिन स्कूल पहुंच गए। जहां घटना की जानकारी प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल को दी। परिजनों का आरोप है कि 25 अगस्त को चेयरमैन ने उन्हें स्कूल में बुलाया और शिकायत वापस लेने का दबाव डाला। इसके बाद परिजनों ने मामले की शिकायत पुलिस को कर दी। डीसीपी रोहिणी गुरु इकबाल सिंह के मुताबिक, छात्रा से छेड़छाड़ के संबंध में 30 अगस्त को बेगमपुर थाने में शिकायत मिली थी। शिकायत के आधार पर छेड़छाड़, पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज कर आरोपी छात्र की पहचान कर उसे पकड़ लिया है। आरोपी छात्र भी नाबालिग है। पुलिस आगे की जांच कर रही है।

यौन उत्पीड़न करने पर नाबालिग ने युवक को उतारा था मौत के घाट

दक्षिणी दिल्ली, (पंजाब केसरी) : साउथ-ईस्ट डिस्ट्रिक्ट के जामिया नगर के बाटला हाउस इलाके में वसीम उर्फ अल्ताफ (28) की हत्या की गुत्थी को पुलिस ने सुलझा लिया है। पुलिस ने इस मामले में एक नाबालिग को पकड़ा है। पूछताछ के दौरान आरोपी ने पुलिस को बताया कि वसीम उसके साथ यौन उत्पीड़न कर रहा था। वसीम ने उसका वीडियो भी बना रहा था। वीडियो वायरल करने की धमकी देकर उसके साथ दो माह से उत्पीड़न कर रहा था। पुलिस पकड़े गए आरोपी से पूछताछ कर मामले की छानबीन कर रही है।

डीसीपी राजेश देव ने बताया कि गत 30 अगस्त को दोपहर 2:15 बजे जामिया नगर थाना पुलिस को सूचना मिली कि एक शख्स अपने किराए के मकान में अचेत अवस्था में पड़ा है। उसकी गर्दन पर धारदार हथियार से हमला किया गया है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंच गई। पुलिस को वसीम जख्मी हालत में मिला।

जांच में पुलिस को पता चला कि वसीम ट्यूशन पढ़ाता था। आगे पुलिस को पता चला कि जिस कमरे में वसीम का शव मिला। वह अल्ताफ के परिवार किराए पर लिया हुआ था। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज किया। पुलिस ने घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली। पुलिस को पता चला कि घटना के पीछे इलाके में ही रहने वाले एक नाबालिग का हाथ है। टीम ने गुप्त सूचना के बाद आरोपी को पकड़ लिया।

DAINIK JAGRAN, Delhi, 3.9.2023
Page No. 5, Size:(8.76)cms X (18.53)cms.

स्कूल बस में वरिष्ठ छात्र ने छह वर्षीय बच्ची से की छेड़छाड़

- घर लौटते समय स्कूल बस में सीनियर छात्र ने की करतूत, पुलिस ने पकड़ा
- दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष ने दिल्ली पुलिस को जारी किया नोटिस

जागरण संवाददाता, बाहरी दिल्ली: बेगमपुर थाना इलाके के एक निजी स्कूल की छह वर्षीय बच्ची से स्कूल बस में छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। आरोप स्कूल के ही वरिष्ठ छात्र पर है। स्वजन की शिकायत पर बेगमपुर थाना पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर आरोपित को पकड़ लिया है। मामले में दिल्ली महिला आयोग ने पुलिस को नोटिस भेजा है।

23 अगस्त को जब बच्ची स्कूल से आई, तो उसकी हालत देख मां को शक हुआ। उन्होंने बच्ची से पूछताछ की। बच्ची ने मां को बताया कि स्कूल बस में एक लड़के ने उससे छेड़छाड़ की है। अगले दिन बच्ची की मां स्कूल गईं। उन्होंने स्कूल प्रशासन को शिकायत दी। आरोप है कि स्कूल प्रशासन ने उन्हें शिकायत वापस लेने को कहा और मामले को दबाने की कोशिश की। इस पर बच्ची के स्वजन ने पुलिस को शिकायत दी। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की।

उधर, इस मामले में दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने पुलिस को नोटिस जारी कर कहा कि दिल्ली के एक निजी स्कूल की बस में वरिष्ठ छात्र ने छह वर्षीय बच्ची से छेड़छाड़ की है। मामले में कड़ी कार्रवाई की जाए। पुलिस अधिकारी का कहना है कि 30 अगस्त को बेगमपुर थाना पुलिस को छह वर्षीय बच्ची से छेड़छाड़ की जानकारी मिली थी। बच्ची के पिता की शिकायत पर बेगमपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कर आरोपित को पकड़ा गया है।

> स्कूल बस में छात्रों की सुरक्षा के मद्देनजर सीसीटीवी कैमरे होने चाहिए। चालक व कंडक्टर के साथ स्कूल की बस में महिला सहायक व अध्यापक भी मौजूद होने चाहिए। अध्यापक अलग-अलग रूट पर अलग हो सकते हैं। अगर कोई स्कूल बस में इन चीजों का ध्यान नहीं रखता है, तो वह लापरवाही है। - **भरत अरोड़ा**, प्रेसिडेंट, एक्शन कमेटी आफ रिकाग्नाइज्ड प्राइवेट स्कूल, दिल्ली

चिंता की बात » संपादकीय